न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 136/2017 (उदयपुर डिक्री)

मृतक रामचन्द्र पिता ि ाव भांकर जी ब्राहमण के बजाय :–

1/1. श्रीमती बिन्दुमती गौड़ पत्नी स्वर्गीय रामचन्द्र जी गौड़, निवासी 2–क–11, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 11, उदयपुर (राज.)

1/2. चित्रा गौड़ पुत्री स्वर्गीय रामचन्द्र जी गौड़, निवासी 2–क–11, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 11, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधी ा, उदयपुर (राज.)
2. जसवन्तसिंह पिता सोहनलाल जी आंचलिया, नि0 125, सहेली मार्ग, उदयपुर
3. श्रीमती सरला पत्नी सुरेन्द्र जी मेहता, निवासी 77, अ ोक नगर, उदयपुर
4. धर्मसिंह पिता खुमाणसिंह जी भण्डारी, निवासी न्यू फतहपुरा, उदयपुर
5. हिम्मतसिंह पिता विजयसिंह जी नाहर, निवासी 16, सुभाश मार्ग, उदयपुर
6. श्रीमती उशा पत्नी जसवन्तसिंह जी आंचलिया, नि0 125, सहेली मार्ग, उदयपुर
7. करणसिंह पिता जगतसिंह जी राजपूत, निवासी करजाली हाउस, घण्टाघर, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 06.11.2003 प्र.सं. 36/2000

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री नरेन्द्र चौधरी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 1

———/———

निर्णय **दिनांक 13–12–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सुखेर में साबिक आराजी नंबर 117 स्थित है। वादी पूर्व में मिलेट्री में नौकरी करता था, जिससे उसे उक्त आराजी में से 5 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 27–1 को आवंटन करने की सलाह दी,

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:07:09 IST
Reason: SelfAttested

लेकिन चेयरमैन सलाहकार समिति के संतुश्ट नहीं होने से इस मामले को आदे ा हेतु प्रतिवादी के पास भेजा गया, जिस पर दिनांक 20–07–1979 को 5 बीघा भूमि का आवंटन वादी के पक्ष में किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया, तब से वादी निरन्तर भाान्ति पूर्वक काबिज चला आ रहा है। किन्तु राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम अंकित नहीं हो पाने के कारण वाद प्रस्तुत करना पड़ा। साबिक आराजी के हाल नंबर 486 व 1898/359 बने हैं। आराजी नंबर 486 को प्रतिवादी संख्या 2 से 6 ने तथा आराजी नंबर 1898/359 को प्रतिवादी संख्या 7 ने अपने खाते करा लिया है, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी को साबिक आराजी नंबर 117 से बने नये नंबर जिस पर वादी का कब्जा है, का खातेदार घोशित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्लीडिंग्स के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 8 तनकियां कायम की गयी एवं तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 06–11–2003 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–08–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। भोष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा धारा 5 व 14 मयाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत कर बताया अपीलान्ट को इस बात की कोई ज्ञान नहीं था कि उनके पति/पिता स्वर्गीय रामचन्द्र जी के स्वर्गवास होने के बाद उनकी ओर से पॉवर ऑफ एटोर्नी राज कुमार चंचावत द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी है। चूंकि कानूनन मृतक द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी है, जबकि मृत व्यक्ति द्वारा कानूनन अपील प्रस्तुत किये जाने का विधि में प्रावधान नहीं होने से अपील खारिज होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट जो मृतक रामचन्द्र के विधिक वारिसान है, उन्हें अपील प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्राप्त है एवं उक्त अपील उनकी ओर से प्रस्तुत की जा रही है। चूंकि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे एवं उन्हें स्वर्गीय रामचन्द्र के जीवनकाल में प्रकरण चलने का कोई ज्ञान नहीं था। अपीलान्ट को माननीय न्यायालय में अपील लम्बित [illegible] ज्ञान होते ही उक्त प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:07:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट को माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 21–06–2017 का ज्ञान होते ही विधिक राय लेकर अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अन्दर मयाद भुमार की जावे।

हमने धारा 5 के आवेदन पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06–11–2003 को निर्णय पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–08–2017 को प्रस्तुत की गयी है। जबकि 60 दिवस में अर्थात दिनांक 05–01–2004 तक अपील प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, किन्तु यह अपील करीब 13½ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिये जो कारण बताये हैं वह न तो उचित प्रतीत होते हैं एवं न ही पर्याप्त कारण हैं। यही नहीं इस न्यायालय द्वारा भी अपीलान्ट के पति/पिता की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 13/2013 दिनांक 21–06–2017 को अबेट एवं प्रारम्भ से विधि भून्य होने के कारण पोशणीय नहीं होने से खारिज की जा चुकी है, जिसकी कोई अपील अपीलान्टगण द्वारा नहीं की जाकर पुनः इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है, जो पोशणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है। इसके अलावा गुणावगुण पर भी हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों अनुसार तनकीवार निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटि प्रतीत होती हो। तद्नुसार भी हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं एवं अपील को सारहीन पाते हैं।

अतः अपील बेरून मयाद होने, पोशणीय नहीं होने एवं गुणावगुण आधार पर सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–11–2003 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13–12–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:07:09 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम.एल. चौहान, आई.ए.एस.** .....

मृतक रामचन्द्र के बजाय श्रीमती बिन्दुमती गौड़ पत्नी रामचन्द्र, निवासी 2–क–11, हिरण मगरी, सेन्टर 11, उदयपुर व अन्य बनाम **राजस्थान राज्य जरिये जिलाधी I, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**136 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**06**.....माह.....**11**.....**2003**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**13**.....माह.....**12**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरेन्द्र चौधरी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमले I चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील बेरून मयाद होने, पोशणीय नहीं होने एवं गुणावगुण आधार पर सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–11–2003 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये.....**X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**13**.....माह.....**12**.....**2021** को जारी किया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:07:09 IST
Reason: SelfAttested